भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4657
जिसका उत्तर सोमवार 22 जुलाई, 2019
31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

विनिवेश लक्ष्य

4657. डॉ. तामिझाची थंगापंडियनः
श्री दीपक बैजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विनिवेश प्रक्रिया के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्यों और इससे प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2019-20 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ख) घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में विनिवेश करने में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है ताकि सरकारी हिस्सेदारी के लिए उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके;

(ग) क्या सरकार घाटे में चल रहे पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने में सफल रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का कौन-से पीएसयूज़ में विनिवेश करने का विचार है और इससे कितनी धनराशि प्राप्त की जाएगी और किन कारणों से सरकार पीएसयूज़ का विनिवेश करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) : विगत 05 वर्षों अर्थात 2014-15 से 2018-19 के दौरान विनिवेश लक्ष्यों और प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**विनिवेश लक्ष्य**		**विनिवेश से प्राप्तियां**
		बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	
1.	2014-15	43,425	26,353	24,349
2.	2015-16	69,500	25,313	23,997
3.	2016-17	56,500	45,500	46,247
4.	2017-18	72,500	1,00,000	1,00,057
5.	2018-19	80,000	80,000	84,972

वर्ष 2019-20 के दौरान विनिवेश के लिए बजट अनुमान 1,05,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

-2/-

(ख) और (ग) : सीपीएसईस का विनिवेश खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ताकि भारत सरकार के शेयरों के लिए उच्चतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। पिछले दो वर्षों के दौरान, 05 सीपीएसईस (एचपीसीएल, आरईसी, एनपीसीसी, एचएससीसी और डीसीआईएल) के सामरिक विनिवेश को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। लाभप्रदता सामरिक विनिवेश के लिए कोई मापदंड नहीं है।

(घ) : सरकार ने भारत सरकार की अधिकांश शेयरधारिता की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सहायक कंपनियों, इकाईयों और संयुक्त उद्यमों सहित 23 सीपीएसईस के सामरिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है (उनकी सूची **अनुबंध** में दी गई है)।

सामरिक विनिवेश इस मूल आर्थिक सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण/उत्पादन में स्वयं को नहीं फँसाए रखना चाहिए जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और ऐसी कंपनियों की आर्थिक संभावना विभिन्न घटकों जैसे कि पूंजी लगाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा दक्ष प्रबंधन परिपाटियों आदि के कारण सामरिक निवेशकों के हाथों में संभवतः बेहतर होगी। इसके अलावा, सरकार सीपीएसईस में अपने निवेश का मुद्रीकरण करने में भी सक्षम होगी।

सामरिक बिक्री से प्राप्त अर्थागम वास्तविक बिक्री के समय प्रचलित बाजार परिस्थितियों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 22.07.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4657 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सहायक कंपनियों, इकाईयों और संयुक्त उद्यमों सहित उन सीपीएसईस की सूची जिनके सामरिक विनिवेश के लिए सरकार ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

1. प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
2. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि. (एचपीएल)
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.
4. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
5. पवन हंस लि.
6. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (सहायक कंपनी)
7. स्कूटर्स इंडिया लि.
8. भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि.
9. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि. (एचएफएल) (सहायक कंपनी)
10. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
11. भारत अर्थ मूवर्स लि. (बीईएमएल)
12. फेरो स्क्रेप निगम लि. (सहायक कंपनी)
13. सीमेंट कार्पो. ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई)
14. एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट
15. सेल का दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट
16. सेल का सेलम स्टील प्लांट
17. सेल की भद्रावती इकाईयां
18. एयर इंडिया और उसकी पांच सहायक कंपनियां तथा एक संयुक्त उद्यम
19. एचएलएल लाइफकेयर
20. इंडियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल कार्पो. लि. (आईएमपीसीएल)
21. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स
22. कामराजार पोर्ट
23. भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आईटीडीसी)